:- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 60/18

उनवान

1. मेवा पुत्र भैरू जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया

-- प्रार्थीगण :- ज़रियें अधिवक्ता सीताराम रावत

बनाम

1. भंवरा पुत्र रेवता जाति गुर्जर
2. कालू पुत्र रेवता जाति गुर्जर
3. गोपाल पुत्र रेवता जाति गुर्जर
4. हरि पुत्र रेवता जाति गुर्जर
5. उंार पुत्र रेवता जाति गुर्जर
6. वीरमा पुत्र धन्ना जाति गुर्जर
7. छोटा पुत्र धन्ना जाति गुर्जर
8. मंगल पुत्र पॉचू जाति गुर्जर
9. नौरत पुत्र पॉचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम बावडी श्रीनगर
10. वज्जा पुत्र रतना जाति रावत
11. महेन्द्र सिंह पुत्र रतना जाति रावत
12. गुमान सिंह पुत्र रतना जाति रावत
13. मेघ सिंह पुत्र रतना जाति रावत
14. किशन सिंह पुत्र रतना जाति रावत
15. मोटा सिंह पुत्र रतना जाति रावत
16. नानू सिंह पुत्र रतना जाति रावत
17. विजय सिंह पुत्र रतना जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

-- अप्रार्थीगण :- 1 से 17 अनुपस्थित
18 जरिये पेरो. सर.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

-: आदेश :-

दिंनाक :- 23.1.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल श्रीनगर में स्थित है जिसका खाता संख्या 1068 खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.20 है0 दर्ज है व प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में रेकार्डेड

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर वर्षो से काबिज काश्त कर लगातार निरन्तर उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिये पत्थर गढाई कराने हेतु वर्तमान आधार जमाबन्दी सम्वत 2073–76 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न कर रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी मौके पर आज भी फसल काश्त करता आ रहा है व पूर्ण रूप से विकसित है । प्रार्थी भूमि की सुरक्षा के लिये भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी कराने के लिए निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 17 बावजूद तामिली उपस्थित नहीं होने से विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में जाहिर किया की प्रार्थी अपना वाद स्वयं सिद्ध करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की वादग्रस्त आराजीयात ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल श्रीनगर में स्थित है जिसका खाता संख्या 1068 खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.20 है0 दर्ज है व प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर वर्षो से काबिज काश्त कर लगातार निरन्तर उपयोग व उपभोग करते आ रहा अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिये पत्थर गढाई कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 1068 खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.20 है0 ग्राम फारकिया में स्थित है। वादग्रस्त आराजियात मेवा पुत्र भैरू की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जो वर्तमान आधार जमाबन्दी संवत 2073–76 से पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तथा मेवा पुत्र भैरू रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रकरण में दिनांक 22.10.18 को समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है व अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का जवाब प्रस्तुत करते हुए खण्डन भी नहीं किया है। यदि सीमांकन करते हुए पत्थरगढी के आदेश प्रसारित किये जाते है तो अप्रार्थीगणों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

अतः तहसीलदार नसीराबाद सभी सहखातेदारों की विधिक उपस्थिति में ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल श्रीनगर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात जिसका खाता संख्या 1068 खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.20 है0 पर सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

Scanned by CamScanner